सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41/2014 (2014/00135)

प्रार्थी

1. धनसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामगढ, तहसील नावां जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रामकरण पुत्र मोटा
   - 1/1 बंसीलाल पुत्र रामकरण
   - 1/2 भंवरलाल पुत्र रामकरण
2. उगमाराम पुत्र मोटा
   - 2/1 बाबूलाल पुत्र उगमाराम
   - 2/2 सोहनलाल पुत्र उगमाराम
   - 2/3 नानूराम पुत्र उगमाराम
   - 2/4 नेकाराम पुत्र उगमाराम
3. भींवाराम पुत्र नोला जाति भांभी
   - 3/1 धन्नी बैवा भींवाराम
   - 3/2 खींवाराम पुत्र भींवाराम
   - 3/3 शिराम पुत्र भींवाराम
   - 3/4 मानाराम पुत्र भींवाराम
   - 3/5 दानाराम पुत्र भींवाराम

समस्त निवासी ग्राम कालोली तहसील कुचामनसिटी।

4. मोहन देवी पुत्र भुवानाराम
5. गोपीराम पुत्र भुवानाराम निवासी ग्राम कालोली तहसील कुचामनसिटी
6. प्रबन्धका सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, कुचामनसिटी
7. भंवराराम पुत्र नाथुराम निवासी दांतारामगढ तहसील नावां
8. बंसीलाल पुत्र रामकरण
9. भंवरलाल पुत्र रामकरण
10. कस्तुरी पत्नी रामकरण जाति जांगिड
11. राजस्थान सरकार जरीये, तहसीलदार कुचामनसिटी।
12. मोहनसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामगढ तहसील नांवा
13. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक दातारामगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कालोली तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खैवट खतौनी राजस्व रेकर्ड सवंत 2012 से 2015

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

के अनुसार खैवट खतौनी सं0 2 व 33, 24, 58 के अनुसार नारायण सिंह पुत्र जवाहरसिंह कौम राजपूत जागीरदार दर्ज थे एवं उक्त खतौनी के खसरा नं0 30 व 36 पर राजस्व रेकर्ड सवंत 2012 से 2015 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 12 के पिता जोरसिंह काबिज काश्त थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 12 काबिज है।

उपरोक्त खसरा सं0 30 रकबा 85 बीघा 8 बीस्वा किस्म बारानी 2 एवं खसरा नं0 36 रकबा 61 बीधा 18 बीस्वा कुल कीता 2 रकबा 147 बीघा 6 बीस्वा पर वादी के पिता कब्जेकाश्त होने से रिजम्शन ऑफ जागीर अधिनियम के उन्मूलन के पश्चात खातेदार राजस्व रेकर्ड के अनुसार दर्ज रहे।

साबिक खसरा नं0 30 एवं 36 के नये नंबर दौराने भू प्रबन्ध निम्नानुसार बने। खसरा नं0 25 रकबा 2.30 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 27 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 28 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 29 रकबा 3.90 है0, खसरा नं0 30 रकबा 3.40 है0, खसरा नं0 31 रकबा 4.92 है0, खसरा नं0 32 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0 33 रकबा 1.14 है0, खसरा नं0 44 रकबा 1.40 है0, खसरा नं0 43 रकबा 5.48 है0, खसरा नं0 45 रकबा 3.14 है0।

साबिक खसरा नं0 30 एवं 36 के बने नये खसरा नम्बरान 25,26,27,28 एवं 29 जमाबंदी सवंत 2067 से 2070 के अनुसार अप्रार्थीगण खींवाराम, शिवराम, दानाराम, मानाराम पिसरान भींवाराम, धन्नी पत्नी भींवाराम, मोहनी देवी पुत्र भुवानाराम, गोपीराम पुत्र भुवानाराम जाति मेधवंशी के नाम होकर उक्त मोहनी व गोपीराम का हिस्सा सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कुचामनसिटी दर्ज हुये इसी प्रकार खसरा नं0 27,28 व 29 भी इन्ही के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहा।

राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2067 के अनुसार खसरा नं0 31,32,33,43,44,45 का नाम दर्ज रहा एवं खसरा नं0 43 के हिस्से में से बंसीलाल, भंवरलाल पिसराम रामकरण व किस्तुरी पत्नी रामकरण, बाबूलाल, सोहनलाल, नानूराम, नेमाराम पिसरान उगमाराम नाबालिग की वली अण्डचली पत्नी उगमाराम जाति जांगिड साकिन दह दर्ज हुये। बंसीलाल, भंवरलाल व किस्तुरी का हिस्सा सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के नाम दर्ज हुआ जो जरिये नामान्तरकण सं 236 दिनांक 11.10.2011 को पंजाब नेशनल बैंक दातारामगढ के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

नामान्तरण सं0 210 दिनांक 09.12.2010 को हुये विभाजन निम्न बंटवारा भी किया गया भंवरा राम पुत्र नाथूराम जाति जाट भूरडकों की ढाणी दातारामगढ खसरा नं0 43 रकबा 1.46 है0 दर्ज किये गये।

राजस्व रेकर्ड जामबंदी संवत 2012 से 2015 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 12 के पिता राजस्व रेकर्ड में खातेदार थे।

संपूर्ण साबिक खसरा नं0 30 व 36 प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं 11 के पिता के नाम दर्ज रहा एवं मौके पर आज भी इनका कब्जा है।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से अप्रार्थी सं 1 लगायत 11 का नाम राजस्व रेकर्ड कर दिया जो गलत इन्द्राज है इसलिए प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया बहुत मजबुत है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अप्रार्थीगण अपने मनसुबों में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णनिय क्षति होगी एवं नानाप्रकार के मुकदमें बाजी पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें की वे स्वयं, अपने ऐजेण्ट, कर्मचारियों, नोकरो, पावर ऑफ अर्टोनी व अन्य किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, मुतकिल ना करे एव ना ही प्रार्थी के कब्जेकास्त में हस्तक्षेप करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 03.11.2014 को अप्रार्थी नं0 1/1, 2/1, 2/3, 2/4 की ओर से वकील श्री अशोकपुरी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 09.10.2015 को अप्रार्थी सं0 9,7,12,13 के अलावा जबाब पेश किया, शामिल मिसल है। दिनांक 04.03.2016 को अप्रार्थी सं0 6,7,12,13 गैरहाजीर होने पर इकतरफा की हुई है। दिनांक 16.03.2018 को वकुलाय ने बहस सुनाई, बहस अधुरी होने से दिनांक 26.03.2018 को मजीद बहस सुनाई। बाद बहस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात खतौनी सवंत 2012–15 व 2016–19, 2020–23, 2024–26, 2028–31 एवं 2066–70, जबाब प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी का बहस का मनन करने पर न्यायालय को प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णय क्षति के संबंध में न्यायालय को निर्णय करना है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया की प्रार्थी के पिता की खातेदारी संवत 2012 से लेकर 2019 तक बखुबी रही हैं जो खतौनी से साबित है। बाद में राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अप्रार्थी सं 1 लगायत 11 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी को डराने, धमकाने व उक्त आराजी को बैचान करने की धमकी देने लग गये है इसलिए प्रार्थी के पिता की खातेदारी संवंत 2012 से 2019 तक होने से एवं बाद में गलत तरीके से अप्रार्थी सं 1 ता 11 के नाम होने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 10 उक्त आराजी को खुर्द फुर्द एवं बेचान करने पर तुले हुये है, अगर अप्रार्थीगण अपने मनसुबे में कामयाम हो गये तो प्रार्थी को भारी हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं होगा इसलिए प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनिय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित होने से अंतरिम आदेश दिनांक 17.06.2014 को ताफैसला बाद पुख्ता फरमाने के आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुये प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं व वकील प्रार्थी की बहस को नकारते हुये बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज हुई है एवं आजदिन प्रार्थीगण का एक इंच पर भी कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी पर कब्जाकाश्त कर रहे है। उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज होने से एवं प्रार्थी का आजदिन को कब्जाकाश्त नहीं होने से उक्त तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनिय क्षति अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त एवं खातेदारी होने से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनिय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में संलग्न खतौनी संवंत 2067–70 बखुबी साबित है अगर अप्रार्थीगण की कब्जाकाश्त खातेदारी से प्रार्थी बेदखल करता है तो अप्रार्थीगण को भारी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनिय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारिज होने से खारिज फरमावें। वकुलाय की बहस में किये गये विवेचनों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि प्रार्थी के नाम खातेदारी सवंत 2012 से 2019 तक रही है लेकिन उसके बाद कभी कब्जाकाश्त एवं खातेदारी होने के सबुत वकील प्रार्थी ने पेश नहीं किये है। अप्रार्थीगण का आज दिन कब्जाकाश्त होना वकील अप्रार्थी ने साबित किया है। खातेदारी के संबंध में न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अप्रार्थीगण का आज दिनांक तक उक्त आराजी पर कब्जाकास्त एवं खातेदारी है इसलिए खातेदार के खिलाफ अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखना उचित नहीं है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में वकुलाय की बहस एवं प्रार्थना पत्र व संलग्न जबाब व दस्तावेजात से होना प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने पर निम्नप्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम कालोली के पुराने खसरा नम्बर 30 एवं 36 जिसके नये खसरा नम्बर 25 ता 33 व 43, 44, 45 पत्रावली में अंकित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2014 को निरस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मिसल नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनॉक 16/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)